

राम प्यारे

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1408/2015)

09 जनवरी 2025

[न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन]

विचारार्थ मुद्दा

किसी भी ठोस सबूत के अभाव में, आईपीसी की धारा 306, 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बहनोई के खिलाफ सजा के आदेश की सत्यता।

हेडनोट्स

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 113 ए – विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान – धारा 113 ए का आह्वान – कब – मृतक स्वयं को आग लगाकर गंभीर रूप से जलने के कारण जान दे दी – अपीलकर्ता-बहनोई को धारा 306 और 498 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि और सजा का आदेश, हालांकि, धारा 304 बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया – सत्यता:

आवधारित किया गया: जब निचली अदालतें धारा 113 ए को लागू करना चाहती हैं, तो शर्त यह है कि पहले क्रूरता और उत्पीड़न के संबंध में कुछ ठोस सबूत होने चाहिए – किसी भी रूप में उत्पीड़न या उकसाने जैसे सहायता या उकसाने के संबंध में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में, अदालत सीधे धारा 113 ए को लागू नहीं कर सकती है और यह मान सकती है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया – ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जेठ ने आत्महत्या के लिए उकसाया – निचली अदालतों द्वारा पारित सजा का निर्णय और आदेश रद्द – दंड संहिता, 1860 – धारा 306, 498-ए – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – धारा 4. [पैरा 11, 13, 14]

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

महत्वपूर्ण शब्दों की सूची

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आत्महत्या के लिए उकसाना; दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान; आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान; उत्पीड़न या उकसाने के संबंध में ठोस सबूत।

निम्न मामलों से उद्धृत वाद

आपराधिक अपीलक्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1408/2015

सीआरएलए संख्या 401/1993 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के दिनांक 06.08.2013 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : भारत भूषण, केशव बंसल,।

प्रतिवादी के अधिवक्ता: के. परमेश्वर, वरिष्ठ अधिवक्ता/एएजी, शौर्य सहाय, आदित्य कुमार, सुश्री रुचिल राज।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

आदेश

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2013 को आपराधिक अपील संख्या 401/1993 में पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता और तीन अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धाराओं 306 और 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की।
2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी मृतका का जेठ है। मृतका का विवाह राम सजीवन से हुआ था।
3. अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि मृतका के पति, ससुराल वालों और अपीलार्थी (जेठ) की ओर से उसे परेशान किया जाता था।
4. मृतका ने 27-09-1990 को अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने उसी दिन अजगैन थाने, जिला उन्नाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का सार इस प्रकार है:-

“सेवा में,

एसएचओ, पुलिस स्टेशन अजगैन,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिला उन्नाव:

श्रीमान्,

सादर प्रस्तुत है कि शिकायतकर्ता शिव प्रसाद साहू, पुत्र लक्ष्मण साहू, ग्राम भक्त, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव का निवासी है। यह कि ससुर लाल बहादुर पुत्र जुगनू, ग्राम सम्भर खेड़ा, मजरा नाना टीकुर, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में मेरी पुत्री कुसुम को दिनांक 25.09.1990 को अपने साथ ले गये। दिनांक 26.09.1990 व 27.09.1990 की मध्य रात्रि में मेरी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। इसके पूर्व वे शादी के बाद से ही दहेज में भैंस व सोने की चेन की मांग कर रहे थे। तथा मेरी पुत्री कुसुम देवी से कहा कि यदि दहेज नहीं दोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने उसे धमकी दी। इस पर मैंने उसे एक वर्ष तक मायके नहीं भेजा तथा दिनांक 25.09.1990 को मेरी पुत्री को उसके ससुर लाल बहादुर पुत्र जुगनू के साथ मायके भेज दिया। उन्होंने कहा कि वह हमारी जिम्मेदारी है। हालाँकि, 26.09.1990 और 27.09.1990 की मध्य रात्रि में लगभग 2.00 बजे लाल बहादुर, पुत्र जुगनू, राम सजीवन, पुत्र लाल बहादुर, राम प्यारे, पुत्र लाल बहादुर, सोनावती, पत्नी लाल बहादुर ने मेरी बेटी कुसुम देवी को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डाला।

शिकायतकर्ता की शिकायत सभी चार आरोपियों के खिलाफ है। मामले की रिपोर्ट करने के बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाए। बहुत आभारी होंगे।

नंद किशोर साहू, पुत्र राम नाथ,

गाँव राजेपुर, थाना एवं पोस्ट मरवी,

जिला उन्नाव द्वारा लिखित।

शिकायतकर्ता शिव प्रसाद साहू

पुत्र लक्ष्मण साहू निवासी गाँव बखत,

जिला उन्नाव

27.09.1990”

5. जांच के समापन पर, चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दंडनीय दहेज हत्या के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल था। सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय होने के कारण यह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अपीलकर्ता सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
6. ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किया गया मूल आरोप दहेज हत्या का था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय था, फिर भी विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया, तथापि उन्हें क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 ए के अंतर्गत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया।

7. हमें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान ससुर और सास का निधन हो गया। जहां तक पति का सवाल है, वह विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा पहले ही भुगत चुका है। वास्तव में, उसने अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की।
8. वर्तमान अपीलकर्ता जो मृतक का साला है, इस अपील के साथ हमारे समक्ष उपस्थित है।
9. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भारत भूषण और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. परमेश्वर को सुना है।
10. हमने रिकॉर्ड पर मौखिक साक्ष्य को देखा है। हमने यहां अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी देखा है।
11. हमारा मानना है कि व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहां अपीलकर्ता ने अपने भाई के रूप में आत्महत्या के लिए उकसाया। हमें इस मामले में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
12. आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में कानून अब अच्छी तरह से स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालतों ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 113 बी पर बहुत जोर दिया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए और 113 बी अनुमान के बारे में बात करती है। धारा 113 ए और 113 बी क्रमशः इस प्रकार हैं:—

“113 ए. विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में उपधारणा।— जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दर्शित है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उकसाया था।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498 ए में है।

113 बी. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा— जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करना पड़ा था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बनाया है।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304 बी में है।”

13. यह नोट करना प्रासंगिक है कि धारा 113 बी के तहत न्यायालय दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा, जबकि धारा 113 ए के विपरीत जहां प्रावधान कहता है कि न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने की उपधारणा कर सकता है। दोनों प्रावधानों के बीच यही महत्वपूर्ण अंतर है जो आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में उपधारणा उत्पन्न करता है। जब निचली अदालतें साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए को लागू करना चाहती हैं, तो शर्त यह है कि क्रूरता और उत्पीड़न के संबंध में पहले कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। उत्पीड़न या किसी भी रूप में उकसाने जैसे कि सहायता या उकसाने के संबंध में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में, अदालत सीधे धारा 113 ए को लागू नहीं कर सकती है और यह मान सकती है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया।
14. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा का आदेश इसके द्वारा अपास्त किया जाता है।
15. अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर है। उसके जमानत बन्धपत्र को खारिज कर दिया गया है।
16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निस्तारित किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति प्रदान की गई।

हेडनोट्स निधि जैन द्वारा तैयार किए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।